रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 317] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 1970/भाद्र 11, 1892

No. 317] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 1970/BHADRA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

INCOME-TAX

New Delhi, the 1st September 1970

S.O. 2877.—In pursuance of sub-clause (iia) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 2063, dated the 4th June, 1968, namely:—

In the said notification, for the words "the scheme of fixed deposits" in the two places they occur, the words "any scheme of fixed deposits" shall be substituted.

[No. 149/F. No. 142(10)/70-TPL.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1970

एस० ओ० 2877.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उपखण्ड (ii क) के अनसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधि सूचना सं० का० आ० 2063 तारीख 4 जून, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में ("आवधिक निक्षेप की स्कीम" शब्दों के स्थान पर, दो स्थानों में जहां वे आते हैं "आवधिक निक्षेप की कोई स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगें।

[सं० 149/फा० सं० 142 (10)/70- टी० पी० एल०]

S.O. 2878.—In pursuance of clause (vi) of sub-section (3) of section 194A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following schemes as schemes to which the said clause shall apply, namely:—

(a) The scheme of Post Office (Time Deposits) governed by the Post Office (Times Deposits) Rules, 1970.

(b) The scheme of Post Office (Recurring Deposits) governed by the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970.

[No. 151/F. No. 142(10)/70-TPL.]

एस० ओ० 2878.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194 क की उपधारा (3) के खण्ड (VI) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीमों को ऐसी स्कीमों के रूप में अधिसूचित करती है जिनको उक्त खण्ड लागू होगा, अर्थात् :—

(क) डाक घर (सावधि निक्षेप) नियम, 1970 द्वारा शासित डाक घर (सावधि निक्षेप) की स्कीम।

(ख) डाक घर (आवर्ती निक्षेप) नियम, 1970 द्वारा शासित डाक घर (आवर्ती निक्षप) की स्कीम।

[सं० 151/फा० सं० 142(10)/70-टी० पी० एल०]

S.O. 2879.—In pursuance of clause (iii) of sub-section (1) of section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) [as substituted by section 14 of the Finance Act, 1970], the Central Government hereby notifies the following schemes as schemes to which the said clause shall apply, namely:—

(a) The scheme of Post Office (Time Deposits) governed by the Post Office (Times Deposits) Rules, 1970.

(b) The scheme of Post Office (Recurring Deposits) governed by the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1971.

[No. 152/F. No. 142(10)/70-TPL.]

एस० ओ० 2879.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ठ की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अनुसरण में वित्त अधिनियम, 1970 की धारा 14 द्वारा यथा प्रतिस्थापित) केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीमों को ऐसी स्कीमों के रूप में अधिसूचित करती है जिनकों उक्त खण्ड लागू होगा, अर्थात् :—

(क) डाकघर (सावधि निक्षेप) नियम, 1970 द्वारा शासित डाक घर (सावधि निक्षेप) की स्कीम ।

(ख) डाकघर (आवर्ती निक्षेप) नियम, 1970 द्वारा शासित डाकघर (आवर्ती निक्षेप) की स्कीम ।

2. यह अधिसूचना अप्रैल, 1971 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी ।

[सं० 152/फा० सं० 142 (10)/70-टी० पी० एल०

S.O. 2880.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the following Certificates for the purposes of that sub-clause, namely:—

(i) 7-Year National Savings Certificates (II Issue) and 7-Year National Savings Certificates (II Issue)—Bank Series.

(ii) 7-Year National Savings Certificates (III Issue) and 7-Year National Savings Certificates (III Issue)—Bank Series

[No. 154/F. No. 142(10)/70-TPL.]

एस० ओ० 2880—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

(i) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (II पुरोधरण) और 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IIपुरोधरण)—बैंक आवलि ।

(ii) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (III) पुरोधरण) और 7 वर्षीय राष्ट्रीय (III पुरोधरण) बैंक आवलि ।

[सं० 154/फा० सं० 142 (10)/70-टी० पी० एल०]

WEALTH-TAX

New Delhi, the 1st September 1970

S.O. 2881.—In pursuance of clause (xv) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 2064, dated the 4th June, 1968, namely:—

In the said notification, for the words "the scheme of fixed deposits" in the two places they occur, the words "any scheme of fixed deposits" shall be substituted.

[No. 150/F. No. 142(10)/70-TPL.]

धनकर

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1970

एस० ओ० 2881—धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (15) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2064 तारीख 4 जून, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "आवधिक निक्षेप की स्कीम" शब्दों के स्थान पर दो स्थानों में जहां कहीं वे आते है "आवधिक निक्षेप की कोई स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 150/फा० सं० 142(10)/70-टी० पी० एल०.]

S.O. 2882.—In pursuance of clause (xv) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) [as amended by section 26(b)(i)(4) of the Finance Act, 1970], the Central Government hereby notifies the following schemes as schemes to which the said clause shall apply, namely:—

(a) The scheme of Post Office (Time Deposits) governed by the Post Office (Times Deposits) Rules, 1970.

(b) The scheme of Post Office (Recurring Deposits) governed by the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1971.

[No. 153/F. No. 142(10)/70-TPL.]

R. N. MUTTOO, Addl. Secy.

एस० ओ० 2882.—धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (XV) के अनुसरण में (जिस अधिनियम की धारा 26 (ख) (i) (4) द्वारा यथा संशोधित) केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीमों को ऐसी स्कीमों के रूप में अधिसूचित करती है जिनको उक्त खण्ड लागू होगा, अर्थात्:—

(क) डाक घर (सावधि निक्षेप), 1970 द्वारा शासित डाक घर (सावधि निक्षेप) की स्कीम ।

(ख) डाक घर (आवर्ती निक्षेप) नियम, 1970 द्वारा शासित डाकघर (आवर्ती निक्षेप) की स्कीम ।

2. यह अधिसूचना अप्रेल, 1971 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी ।

[सं० 153/फा० सं० 142(10)/70—टी० पी० एस०]

आर०एन० मुट्टू, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970